रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 1997/माघ 25, 1918
No. 63] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 1997/MAGHA 25, 1918

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

(बीमा प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1997

सा. का. नि. 77(अ).—केन्द्रीय सरकार जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों को उपदान के संदाय विषय में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों को उपदान का संदाय) नियम, 1997 है।

(2) ये 1 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. **परिभाषाएं :** (1) इस नियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक" से अधिनियम की धारा 20 के अधीन नियुक्त जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;

(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इस नियम में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमश: उनके हैं।

3. **अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को उपदान का संदाय :**

किसी ऐसे व्यक्ति को, जो यथा स्थिति अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पहले निगम की सेवा में था, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-1 अधिकारी (सेवा के निबन्धन और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 के नियम 9 के अनुसार संगणित उपदान का संदाय किया जाएगा। इस प्रकार संगणित उपदान की रकम जब उपदान उसे शोध्य और संदेय हो जाता है, उस उपदान की रकम से कम नहीं होगी, जिसका, यदि ऐसा व्यक्ति जोन प्रबन्धक (चयन श्रेणी) की श्रेणी में बना रहता, वह हकदार होता।

[फा. सं. 2(6)/बीमा III/96(i)]
सी.एस. राव, संयुक्त सचिव (बीमा)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केन्द्रीय सरकार ने निगम के अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारियों को उपदान की बाबत उपबन्ध को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है। तद्नुसार ये नियम बनाए जाते हैं।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 1997

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules in the matter of payment of gratuity to the Chairman and Managing Directors of the Life Insurance Corporation of India, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These Rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Payment of Gratuity to the Chairman and Managing Directors) Rules, 1997.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1994.

2. Definitions: (1) In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "act" means the Life Insurance Corporation Act, 1956 :

(b) "chairman" means Chairman of the Life Insurance Corporation appointed under section 4 of the Act ;

(c) "chairman and managing director" means Chairman and Managing Director of the Life Insurance Corporation appointed under section 20 of the Act;

(2) Words and expressions used and not defined in this rules but defined in the Life Insurance Corporation Act, 1956 shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Payment of gratuity to Chairman and Managing Director:

A person who, immediately before the date of assuming office as the Chairman or the Managing Director as the case may be, was in the service of the Corporation shall be paid gratuity calculated in accordance with rule 9 of the Life Insurance Corporation of India Class-1 Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985. The amount of gratuity so calculated shall not be less than the amount of gratuity such person would have been entitled to, had he continued in the grade of Zonal Manager (Selection Grade), when the gratuity becomes due and payable to him.

[F. No. 2(6)/Ins. III/96(i)]
C.S. RAO, Jt. Secy. (Insurance)

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the provision regarding gratuity to officers as Chairman or Managing Director of the Corporation. Accordingly, these rules are made.

2. It is certified that no officer of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997